न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–293 सन् 2023

रविन्द्र प्रसाद गुप्ता ....वादी।

बनाम

उमेश कुमार राय वगैरह...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 29.04.2024

वादी की ओर हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 21.11.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 02 बैजनाथ सिंह थे, जिनकी मृत्यु अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 बैजनाथ सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 बैजनाथ सिंह थे, जिनकी मृत्यु अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 21.11.2023 को 500/–रूपया खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक ....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।